100 III/निगरा0/रीवा/भू-रा0/2017/3882

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा जिला–रीवा (म0प्र0)

Rs. 40/-

करतारनाथ द्विवेदी तनय स्व0 जगवंदन प्रसाद द्विवेदी उम्र 75 वर्ष, निवासी ग्राम पड़री तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0) ----------निगरानीकर्ता

बनाम

श्यामादेवी पत्नी अशोक कुमार मिश्रा निवासी ग्राम पड़री तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0) ----------गैर निगरानीकर्ता

आवेदक करतारनाथ द्विवेदी द्वारा पेश 13.10.17

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध सीमांकन प्रकरण क्रं. 18अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 न्यायालय राजस्व निरीक्षक मंडल शिविल गिर्द सिरमौर, तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील सर्किल गिर्द जिला–रीवा म0प्र0 पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 विधि एवं प्रकिया के विरूद्ध निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि सीमांकनशुदा भूमि आराजी नं. 1052/2 रकवा 0.352 हे0 स्थित ग्राम पड़री पटवारी हल्का पड़री रा0नि0मं0 सिरमौर, तहसील सिरमौर, जिला–रींवा (म0प्र0) में स्थित है। जिस भूमि गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा सीमांकन का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में आराजी नं. 1052/3 रकवा 0.352 हे0 स्थित ग्राम पड़री तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0) का सीमांकन का

करतारनाथ द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण कमांक ???/निग/17/3832 जिला— रीवा

पक्षकार का नाम करुणानाथ द्विवेदी / रमाकांदेवी

(1)	(2)	(3)
28.12.17	प्रकरण प्रस्तुत । 2—आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3— आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	